UPBL010029092026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बलिया।

उपस्थितः अनिल कुमार झा, एच.जे.एस.

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1253/2026

1. अमीना खातुन पत्नी अली अहमद, साकिन–खड़सरा, थाना–खेजुरी, जिला–बलिया ।
2. शमीम पुत्र सगीर, साकिन–ग्राम रेवती वार्ड नं०–5 उत्तर टोला, थाना–रेवती, जिला–बलिया ।
3. मु० इरशाद पुत्र सगीर, साकिन–उत्तर टोला, थाना–रेवती, जिला–बलिया ।

... ...आवेदकगण/अभियुक्तगण।

प्रति

उ०प्र० राज्य

... ... .विपक्षी ।

मु0अ0सं0–38/2026
धारा–309(4),333,3(5),61(2),317(2), बी0एन0एस0
थाना– खेजुरी, जनपद–बलिया।

दिनांक 30.06.2026

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अमीना खातुन, शमीम व मु० इरशाद की ओर से मुकदमा अपराध सं0–38/2026, अंतर्गत धारा–309(4),333,3(5),61(2),317(2), बी0एन0एस0, थाना–खेजुरी, जनपद–बलिया में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से शपथकर्ता यासीन द्वारा इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र मा0 उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत की गई है, न निरस्त हुई है और न ही लंबित है।

3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

4. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी रज्जब हुसैन उर्फ लकी पुत्र मोहम्मद रोजादीन निवासी बड़सरा थाना खेजुरी जनपद बलिया का रहने वाला है। आज दिनांक 6.06.2026 को समय करीब 2.30 शाम के आस–पास खेजुरी बाजार में था तभी उसकी भाभी आमीना खातून ने फोन से सूचना दी कि घर में कुछ लोग घुस आये है। तथा उसे व अजमेरी को मारे पीटे है और घर में से एक मंगलसूत्र सोने का व कान की बाली सोने का एक जोड़ी पायल चांदी का व 7000–/रुपये घर मे से लेकर भाग गये है। CCTV Camera मे चेक किये तो एक मोटर साइकिल पर तीन व्यक्ति जाते हुए दिख रहे है। जिनका नाम पता नहीं मालुम है। आशंका है कि इन्ही तीनो व्यक्तियों ने उसके घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया है। वादी के प्रार्थनापत्र पर संबंधित थाना खेजुरी में अज्ञात के विरूद्ध धारा 309(4), 333 बीएनएस में उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया । दौरान विवेचना बरामदगी के आधार पर धारा 3(5),61(2),317(2),बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी की गई। मामला विवेचनाधीन है ।

5. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने कोई अपराध नहीं किया है। बिल्कुल निर्दोष है। कथित घटना की रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है । आवेदकगण का कोई अपराधिक इतिहास नही है। आवेदकगण दिनांक 09.06.2026 से जेल मे निरूद्ध है। आवेदकगण को अपने घर में घुसकर चोरी करते हुए अपनी आंख से नही देखा है। अतः प्रार्थीगण को जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

6. राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने इस आशय का तर्क दिया है

Digitally signed by ANIL KUMAR JHA
Date: 2026.06.30 18:52:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कि अभियुक्ता अमीना खातुन ने अन्य अभियुक्तगण के साथ साजिश करके अपने ही घर से एक सोने का मंगलसूत्र व सोने की कान की बाली, एक जोड़ी चांदी का पायल व 7000–/रुपये घर से लूट लिए एवं स्वंय अभियुक्ता ने अपने देवर वादी मुकदमा को फोन के माध्यम से चोरी की सूचना दी। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

7– पक्षों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में केस डायरी का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों, इस स्तर तक केस डायरी में अंकित साक्षीगण के बयान आदि संकलित साक्ष्य के आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के घर से एक सोने का मंगलसूत्र व सोने की कान की बाली, एक जोड़ी चांदी का पायल व 7000–/रुपये घर से लूट लिए जाने का अभियोजन कथानक है । उक्त घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरूद्ध धारा 309 (4) व 333 बीएनएस मे दर्ज पंजीकृत है। दिनांक08.06.2026को फर्द बरामदगी के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को पुलिस कर्मचारीगण द्वारा गिरफ्तार किया जाना व अभियुक्ता अमीना खातुन के कब्जे से सोने का एक लॉकेट व अभियुक्त शमीम के कब्जे से 7000/– रूपये की बरामदगी के आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का नाम प्रकाश मे लाया जाना कहा जाता है। उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी का कोई स्वतंत्र जन साक्षी होना दर्शित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 09.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है । अभियोजन द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई अपराधिक इतिहास होना संदर्भित नही किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणावगुण पर कोई निश्चयात्मक मत व्यक्त किए बिना, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अमीना खातुन, शमीम व मु० इरशाद का उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। मा० उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **बच्ची देवी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य,** न्यूट्रल साइटेशन 2025 ए०एच०सी० 136034 मे पारित आदेश दिनांकित 12.08.2025 के पैरा–46 मे दिए गए निर्देश के अनुमक्र में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण उपरोक्त को प्रकरण में 50,000/–(पचास हजार रूपये) का स्वबन्धपत्र प्रत्येक द्वारा तथा उसी धनराशि का एक प्रतिभू एवं निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर छोड़ा जाएः–

1– अभियुक्तगण निष्पादित बन्धपत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार विवेचना/न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिभाग करेगें,

2– अभियुक्तगण वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगें,

3– अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सकें,

4– अभियुक्तगण विचारण के दौरान साक्षी के परीक्षण हेतु उपस्थित होने की दशा में कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगें,

5– अभियुक्तगण विचारण के दौरान न्यायालय की वॉछा पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगें ।

किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की जमानत निरस्त करने के लिए विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगी।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाय।

इस आदेश की एक सॉफ्ट कॉपी आज ही ई–मेल द्वारा संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रेषित की जाय।

दिनांकः 30.06.2026

Steno–R.S.Sen

(अनिल कुमार झा)
सत्र न्यायाधीश
बलिया।
ID No. UP 06529